संख्या:- 1-40014/06/2016 /रा.भा.- 350

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस

गृह मंत्रालय/भारत सरकार

खण्ड-2 के.से. कार्यालय परिसर, लोदी रोड

नई दिल्ली-110003

उप सेनानी (आईटीसेल)/Dy. Comdt.(IT Cell)
डायरी सं०/Daily No. 2287
दिनांक/Date 19/7/18

दिनांक 19/7/18

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

बल की अधिकतर वाहिनियों/क्षेत्रीय मुख्यालयों द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त, हिंदी शिक्षण योजना संबंधी अर्धवार्षिक रिपोर्ट, राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, हिंदी पखवाड़ा आयोजन रिपोर्ट, हिंदी कार्यशाला आयोजन रिपोर्ट व हिंदी प्रोत्साहन योजना संबंधी स्वीकृति आदेश आदि पत्राचार संबंधित फ्रंटियर मुख्यालयों को भेजते हुए उनकी प्रतियां महानिदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही हैं।

2. महानिदेशालय स्तर पर केवल समस्त फ्रंटियर मुख्यालय/क्षे0मु0(लवक)/भा.ति.सी.पु. अकादमी/ आधार चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय से प्राप्त रिपोर्ट/रिटर्न की समीक्षा की जाती है। इन कार्यालयों के अतिरिक्त बल के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट/रिटर्न की समीक्षा संबंधित कार्यालय के फ्रंटियर मुख्यालय द्वारा ही की जाती है। इसके अतिरिक्त बल के अधिकांश कार्यालयों द्वारा प्रकाशित बलादेश की प्रतिलिपि भी राजभाषा अनुभाग, महानिदेशालय को भेजी जा रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। उपर्युक्त सभी रिपोर्ट/रिटर्न एवं बलादेश की प्रतियां महानिदेशालय में भिजवाने से अनावश्यक पत्राचार बढ़ जाता है एवं स्टेशनरी की बर्बादी भी होती है।

3. बल मुख्यालय द्वारा चलाई जा रही राजभाषा वार्षिक चलशील्ड के अंतर्गत प्रत्येक फ्रंटियर मुख्यालयों से चयनित प्रथम स्थान प्राप्त कार्यालय की ही समस्त रिपोर्ट/रिटर्न महानिदेशालय में पुनरीक्षण/क्रॉस निरीक्षण हेतु भेजी जाएं तथा इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालयों द्वारा सूचनार्थ भेजी जा रही रिपोर्ट/रिटर्न को महानिदेशालय में न भेजा जाए एवं समस्त फारमेशनों द्वारा प्रकाशित बलादेश की प्रतियां भी राजभाषा अनुभाग, महानिदेशालय को न भेजी जाएं।

4. अत: आपके कार्यालय के अधीन वाहिनियों/फारमेशनों द्वारा उपर्युक्त दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करवाने की कृपा करें।

5. यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

19/7/18

उप महानिरीक्षक (संगठन एवं कल्याण)
महानिदेशालय,भा.ति.सी.पुलिस

सेवा में,

1. महानिरीक्षक, समस्त फ्रंटियर मुख्यालय
2. महानिरीक्षक, प्रशिक्षण परिक्षेत्र , भा.ति.सी.पु. बल।
3. उप सेनानी, आई.टी. सैल, महानिदेशालय को इसे बल की वेबसाइट पर राजभाषा फोल्डर में अपलोड करवाने हेतु।
4. गार्ड मिसिल।

SO(SDC)